तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम व अन्यं) सू.अ.अ. अपील संख्या 152/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चैनसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.19 में उसके द्वारा (1) राजस्व दावा 321/2002 रामसिंह वगैरा/हनुमानसिंह वगैरा को 30.07.03 को खारिज कर दिया गया था जबकि सम्पूर्ण रेकर्ड खूर्दबूर्द का गिरदावरी, जमाबंदी, नामान्तरकरण संख्या–2 सम्वत् 2013 से 2018 तक व बन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम व उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1149 दिनांक 30.08.19 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं से उपखण्ड अधिकारी औसियां को धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। उपखण्ड अधिकारी औसियां से पत्रांक 2764 दिनांक 09.09.2019 के जरिये अवगत कराया कि राजस्व वाद नं0 321/2002 किस आधार पर खारिज किया गया, से संबंधित सूचना मांगी गई जो सूचना का अधिकार के तहत प्रश्न के जबाब नहीं दिये जा सकते है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से सूचना दिये जाने का प्रावधान नहीं है, हम इस तर्क से सहमत है अतः न्यायालय से निर्णित वाद में विधिक प्रकिया के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अलग से प्रावधान भी है। प्रार्थी को प्रमाणित प्रति प्राप्त की जानी है तो संबंधित न्यायालय/ जमा रिकॉर्ड में आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	